



दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी. नं. 17 / 2025 / पीबी-1

दि.वि.प्रा. में उप मुख्य लेखा अधिकारी [डिप्टी सीएओ (परामर्शदाता)] के चार (04) पदों को अनुबंध आधार पर भरना।

दिल्ली विकास प्राधिकरण अनुबंध के आधार पर चार (04) उप मुख्य लेखा अधिकारी (परामर्शदाता) की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार / राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, बैंकिंग / वित्तीय संस्थानों, विनियामक निकायों और सांविधिक निकायों के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक होगी, जिसे डीडीए की आवश्यकता और परामर्शदाता के कार्य-निष्पादन के आधार पर 05 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 30.06.2025 को 62 वर्ष है। डीडीए की आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

निर्धारित प्रारूप के साथ पूर्ण अधिसूचना डीडीए वेबसाइट (<http://www.dda.gov.in/>) पर "जॉब्स" लिंक पर उपलब्ध है।

इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन की स्कैन की गई पीडीएफ / जेपीईजी प्रति, पिछले 05 वर्षों की एपीएआर, वीसीआर और पीपीओ की प्रतियों के साथ **14.07.2025** को शाम 5:00 बजे तक ई-मेल द्वारा consultantpb1@dda.gov.in पर भेजना आवश्यक है। इस संबंध में ई-मेल या फोन आदि के माध्यम से कोई भी संचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आयुक्त (कार्मिक)

हमें  @ddaofficial  @official_dda  @official_dda_ पर फॉलो करें।

डीडीए वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएं अथवा टॉल फ्री नं. 1800 110 332 डायल करें।